HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 16333/2026
CNR: RJHC020687032026 | URN: CW / 34452U / 2026

Pushpendra Singh Hada Constable No. 1112, S/o Shri Raghunath Singh Hada, Aged About 37 Years, R/o 10-C, 10 C, Jawahar Colony, Jhalawar City, Jhalawar, Jhalawar, Rajasthan-326001.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Additional Chief Secretary (Home), Home Department, Secretariat, Ashok Nagar, Jaipur, Rajasthan.
2. Director General Of Police, Rajasthan, Police Head Quarter (Phq), Lal Kothi, Jaipur-302015.
3. Inspector General Of Police, Kota Range, Kota.
4. Commandant, Police Training School, Jhalawar.
5. Superintendent Of Police, District- Jhalawar-Rajasthan.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Naman Dadhich
For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE GANESH RAM MEENA

Order

02/09/2026

1. By filing the present writ petition the petitioner has made a limited prayer to issue directions to the official respondents to open the sealed cover containing recommendation of promotion committee qua him for promotion to the post of Head Constable against the vacancies for the year 2021-2022 and to grant him promotion to the post of Head Constable with all consequences benefits.

2. Learned counsel for the petitioner submits that the Department Promotion Committee has recommended for promotion of the petitioner to the post of Head Constable for the vacancies of the year 2021-2022, but the same is kept in sealed cover and it is because of pendency of criminal case against the petitioner for offence punishable under Sections 7 and 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (for short ' the Act of 1988')

3. Learned counsel for the petitioner further submits that because of the pendency of a criminal case only against the petitioner, the respondents cannot keep the recommendation for promotion in sealed cover and the respondents ought to have opened the sealed cover and the petitioner be accorded promotion on the post of Head Constable.

4. Considered the submissions made by the counsel for the petitioner and perused the material available on record.

5. Admittedly, the petitioner is facing a criminal case for offence punishable under Sections 7 and 13 of the Act of 1988. Because of pendency of a criminal case against the petitioner, the recommendation of his promotion for the post of Head Constable, has been kept in sealed cover.

6. For ready reference, the relevant provision dealing with the issue in question have been mentioned under Clause 12 of the circular dated 04.06.2008 issued by the Department of Personnel, Government of Rajasthan, which reads as under:-

"12. लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही / फौजदारी प्रकरण का पदोन्नति पर प्रभाव

12.1 पदोन्नति के विचारण के समय विचारण सीमा में आने वाले निम्नलिखित प्रकार के राजसेवकों के बारे में विशेष रूप से विभागीय पदोन्नति समिति का ध्यान दिलाया जाए:-

(i) राजसेवक निलम्बित हों.

(ii) राजसेवक के विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोप पत्र प्रसारित कर दिया गया हो,

(iii) राजसेवक के विरूद्ध सक्षम फौजदारी न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाकर अभियोजन लम्बित हो।

12.2 अनुशासनिक कार्यवाही के संदर्भ में यह स्पष्ट स्थिति है कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोप पत्र विधिवत रूप से प्रसारित किये जाने की स्थिति में ही अनुशासनिक जांच कार्यवाही लम्बित होना गाना जायेगा।

12.3 फौजदारी प्रकरण उस स्थिति में लम्बित माना जावेगा जब सक्षम न्यायालय में राजसेवक के विरूद्ध इस्तगासा अथवा चालान (report of police) प्रस्तुत कर दिया गया हो एवं न्यायालय द्वारा उसका प्रसंज्ञान लिया गया हो।

12.4 बन्द लिफाफा (sealed cover) प्रक्रिया उसी पद के लिये पश्चात्वर्ती अवधि में आयोजित होने वाली समस्त विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों में भी अपनाई जावेगी और इस आशय का अंकन कार्यवाही विवरण में अंकित किया जावेगा जब तक कि राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही / फौजदारी प्रकरण निस्तारित नहीं हो जाए/निलम्बन से बहाल नहीं कर दिया जाए।

12.5 उपरोक्त राजसेवकों की पदोन्नति हेतु सुयोग्यता की जांच उनके विरूद्ध लम्बित जांच / फौजदारी प्रकरणों / निलम्बन को नजरअन्दाज करते हुये की जाए। यदि राजसेवक इनके अतिरिक्त नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर अपनी स्वयं की योग्यता के आधार पर वयनित हो जाता है तो ही उसके चयन की सिफारिश एक बन्द लिफाफे में रखी जाए।

12.6 बन्द लिफाफे पर "श्री / श्रीमती..... के सन्दर्भ में विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष में.... पद हेतु पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश श्री..... के विरूद्ध अनुशासनात्मक जांच / फौजदारी प्रकरण के लम्बित रहने तक / निलम्बन से बहाल होने तक नहीं खोला जाए" अंकित किया जाए।

12.7 विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा राजसेवक की पदोन्नति हेतु चयन की सिफारिश बन्द लिफाफे में इसलिये रखी जाती है कि उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण लम्बित है अथवा वह निलम्बित है। चयन की यह सिफारिश जो बन्द लिफाफे में रखी जाती है वह इस शर्त के साथ होती है कि राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही / फौजदारी प्रकरण में वह दोषमुक्त हो जाए अथवा निलम्बन से बहाल हो जाए तो पदोन्नत किया जाए। इस प्रकार की स्थिति में जब यदि राजसेवक उसके विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक / फौजदारी प्रकरण में दोषमुक्त हो जाए अथवा निलम्बन से बहाल हो जाए, तो सम्बन्धित प्राधिकारी बन्द लिफाफा खोलकर राजसेवक को पदोन्नत करने की कार्यवाही नियमानुसार करे। इसके लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समक्ष प्रकरण पुनः रखने की आवश्यकता नहीं है।

12.8 यदि यह राजसेवक लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण में दोषमुक्त हो जाए तो उसके लिए बन्द लिफाफे में रखी गई रिक्ति पर उसकी पदोन्नति उससे ठीक कनिष्ठ राजसेवक की पदोन्नति के दिनांक से ही होगी और वेतन निर्धारण भी उसी दिनांक से किया जायेगा। जहां तक प्रश्न

उसकी पदोन्नति से वंचित रही कालावधि का पूर्ण वेतन भुगतान किये जाने का है, इस सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी गुणावगुण के आधार पर निर्णय करेंगे। यदि वेतन के अन्तर का भुगतान नहीं किया जाए तो इसके लिए स्पष्ट कारण दिए जाए जिसमें यह देख। जाए कि दोषमुक्ति तथ्यात्मक है अथवा तकनीकी/संदेह के लाभ के तौर पर। स्पष्ट किया जाता है कि यदि राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण में अभियोजन पक्ष अधिरोपित आरोप/अपराध को प्रमाणित / सिद्ध करवाने में असफल रहा और राजसेवक गुणात्गक आधार पर दोषमुक्त हो जाए तो उसे वेतन के अन्तर की राशि का भुगतान देय होगा। यदि अनुशासनिक कारवाही / फौजदारी प्रकरण में राजसेवक को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है या अधिरोपित आरोप/अपराध का सिद्धान्तः प्रगाणिकरण माना गया है किन्तु चेतावनी, परिवीक्षा का लाभ, अन्य कारणों से दण्डित नहीं किया गया हो, तो ऐसे प्रकरणों में वेतन के अन्तर की राशि का भुगतान देय नहीं होगा।

12.9 किन्तु यदि अनुशासनिक / फौजदारी प्रकरण में राजसेवक को दण्डित कर दिया जाए तो ऐसे राजसेवक की पदोन्नति हेतु सुयोग्यता की जांच बाद के वर्षों की रिक्तियों के विरूद्ध की जाए एवं उस पूर्व वर्ष की. जिसमें इसके लिये रिक्ति रखी गई थी, की सिफारिश का पुनर्विलोक। कर इस राजसेवक के स्थान पर अन्य राजसेवक की पदोन्नति की जाए।

12.10 बन्द लिफाफा प्रकरणों की समीक्षा समय-समय पर की जाए ताकि अनुशासनिक / फौजदारी प्रकरण निर्णित होते ही बन्द लिफाफे पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

12.11 यदि किसी में बन्द लिफाफा प्रक्रिया अपनाई अपनाई गई हो लेकिन बाद में यह ज्ञात हो कि सम्बन्धित राजसेवक के विरूद्ध रिक्ति (जिसके विरूद्ध उसकी पदोन्नति की सिफारिश की गई है) के दिन कोई अनुशासनिक कार्यवाही / फौजदारी प्रकरण लम्बित नहीं था और त्रुटिपूर्ण सूचना के कारण बन्द लिफाफा प्रक्रिया विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अपना ली गई थी तो इस प्रकार की स्थिति में सम्बन्धित प्राधिकारी बन्द लिफाफा खोलकर राजसेवक को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नत करने की कार्यवाही करे। ऐसे प्रकरणों में विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रकरण रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

12.12 कुछ राजसेवक नियमों में विहित प्रकिया के अनुसार अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किये जाने के बाद पश्चात्वर्ती कार्यवाही के परिणाम स्वरूप पूर्ण सेवा लाभ देते हुए राजकीय सेवा में पुनः ले लिये जाते हैं। सम्भव है कि उस अवधि में जबकि वे राजकीय सेवा से बाहर रहे हैं उनकी पदोन्नति के संदर्भ में राजकीय सेवा से बाहर होने के कारण विचार नहीं हो सका। इस प्रकार के राजसेवक नियमानुसार पदोन्नति के पात्र होंगे और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति का पुनर्विलोकन किया जाकर पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा।

12.13 यह उल्लेखनीय है कि राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण लम्बित होने की स्थिति को विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष के प्रथम दिवस अर्थात् 1 अप्रेल की स्थिति में ही नहीं देखा जाना है वरन् राजसेवक जिस रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति हेतु चयनित किया जाना प्रस्तावित है, उस रिक्ति की उपलब्धता के समय बिन्दू तक लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण की स्थिति विचारार्थ होगी। यह इसलिये आवश्यक है क्योंकि हालांकि रिक्तियों का अवधारण 1 अप्रेल को या उस समय की सम्भावनाओं के मध्यनजर किया जाता है किन्तु समस्त

रिक्तियां 1 अप्रेल को ही उपलब्ध नहीं होती हैं, अपितु कुछ रिक्तियां बाद में भी उपलब्ध होती हैं। इस सन्दर्भ में निम्न बिन्दू ध्यान में रखने योग्य है:-

(i) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किसी भी विभागीय पदोन्नति समित्ति वर्ष में पदोन्नति हेतु विचार करते समय पदोन्नति के पात्र राजसेवकों के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही / फौजदारी प्रकरण / दण्डादेश / निलम्बन की स्थिति का आंकलन उस रिक्ति के संदर्भ में किया जायेगा जिस रिक्ति के विरूद्ध राजसेवक पदोन्नति हेतु विचारार्थ है, अर्थात् राजसेवक जिस रिक्ति के विरूद्ध चयनित होता है, उस रिक्ति की उपलब्धता जिस दिवस को होती है. उस दिवस तक की स्थिति में राजसेवक के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही / फौजदारी प्रकरण / दण्डादेश / निलम्बन इत्यादि पर विभागीय पदोन्नति समिति को विचार करना होगा।

(ii) जिन प्रकरणों में रिक्ति की उपलब्धता के दिवस से पूर्व ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो चुकी हो और संबंधित राजसेवक के चयनित हो जाने के परिणामस्वरूप पदोन्नति आदेश प्रसारित किया जाना हो तो, आदेश प्रसारित करने से पूर्व सम्बन्धित प्राधिकारी को यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वयनित राजसेवक रिक्ति की उपलब्धता की तिथि तक सेवा अभिलेख के तौर पर स्वच्छ छवि का है, अर्थात् वयनित राजसेवक के संदर्भ में जिस दिवस को रिक्ति उपलब्ध हुई है, उस दिवस तक अनुशासनिक कार्यवाही / फौजदारी प्रकरण / दण्डादेश एवं निलम्बन की स्थिति नहीं हो, अन्यथा स्थिति में उसकी पदोन्नति को आस्थगित (in abeyance) रखते हुये समिति की सिफारिशों को बन्द लिफाफे में रखे जाने की कार्यवाही की जाए।

(iii) जिन प्रकरणों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो चुकी है और राजसेवक जिस उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध चयनित हुआ है, उस रिक्ति की उपलब्धता की तिथि से पूर्व ही राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही / आपराधिक फौजदारी प्रकरण पारम्भ होकर निर्णित हो जाए और उसे शास्ति अथवा दण्ड अधिरोपित हो जाए तो उसके पदोन्नति आदेश प्रसारित नहीं किये जाए और उसकी पदोन्नति सम्बन्धी सिफारिशों को आस्थगित रखते हुये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करके प्रकरण के पुनर्विलोकन की कार्यवाही की जाए, ताकि उक्त अयोग्य हो चुके राजसेवक को पदोन्नति का प्रकरण निस्तारित होकर अन्य सुयोग्य राजसेवकों को पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो सके।

(iv) ऐसे प्रकरणों में जिनमें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो चुकी हो और राजसेवकों के पदोन्नति के चयन की सिफारिशों के उपरान्त आदेश प्रसारण की स्थिति में राजसेवक जिस दिवस को उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध चयनित हुआ है, उसकी पदोन्नति का आदेश प्रसारित होने से पूर्व यदि किसी मामले में यह राजसेवक निलम्बित हो जाए तो वह राजसेवक जब तक निलम्बन से बहाल नहीं हो जाए, तब तक पदोन्नति नादेश आस्थगित रखा जाए। उसका चयन स्वतः ही बन्द लिफाफे में आ जायेगा।

(v) जिन प्रकरणों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक रिक्ति उत्पन्न होने के पश्चात् हो रही हो (विशेषकर पूर्व वर्षों की रिक्तियों पर

पदोन्नति हेतु) और किसी राजसेवक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक / फौजदारी प्रकरण जो उसके लिए प्राप्त हुई रिकि। के पश्चात् प्रारम्भ हुआ हो और बैठक के दिनांक को लम्बित हो, तो यह प्रकरण उस राजरोवक की पदोन्नति में बाधक नहीं होगा चाहे इस प्रकरण में राजसेवक को सेवा से पदच्युत (dismissal) / सेवा से हटाने (removal) के अतिरिक्त अन्य कोई सजा दी गई हो।

(vi) वर्ष के प्रथम दिवस को राजसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक / फौजदारी प्रकरण / निलम्बन लम्बित हो जिसके कारण बन्द लिफाफे की कार्यवाही आवश्यक है, परन्तु बैठक से पूर्व ही यदि उसका निस्तारण हो जाए तो इस सम्बन्ध में प्रसारित आदेश प्रवृत्त होगा, बन्द लिफाफे की प्रकिया नहीं।"

7. A bare perusal of Clause 12.7 of the circular dated 04.06.2008 indicates that the sealed cover in which the fate of delinquent employee has been kept can be opened in the following circumstances; that only if he is acquitted in the disciplinary proceedings/criminal case pending against him or reinstated from suspension i.e. his suspension has been revoked.

8. In the instant case, admittedly, a criminal case is pending against him before the competent court of law, hence the case of the respondent falls under Clause 12.7 of the circular, which clearly stipulates that fate of the respondent which has been kept in a sealed cover can be opened, in case, suspension of a delinquent employee is revoked.

9. Recently, the Hon'ble Division Bench of this Court in the case of ***State of Rajasthan Vs. Dr. Anil Kumar Paliwal in D.B. Special Appeal Writ No. 722/2025 decided on 03.07.2026*** has observed as under:-

"2. The challenged in the present appeal is to the judgment and order passed by the learned Single Judge dated 28.03.2025, whereby the learned Single Judge, while interpreting Clause 12.7 of the Circular dated 04.06.2008, has held that the seal cover shall be opened

relating to consideration for promotion of an individual if his suspension order has been revoked, even if a criminal case is pending against him.

3. We notice that Clause 12.7 of the Circular relates to departmental enquiry proceedings. Be that as it may, criminal proceedings have a separate role to play and, therefore, apart from Clause 12.7, if a criminal case is pending against any individual, he cannot be awarded with promotion during the period when he is under cloud. Such a view taken otherwise would result in causing departmental chaos.

4. A similar view was taken by the Hon'ble Supreme Court in the case of Union of India and Others Vs. K.V. Jankiraman and Others, reported in (1991) 4 SCC 109. The relevant paragraphs of the said judgment read as under:

> *"13. Paras 5, 6 and 7 of the Memorandum then read as follows:*
>
> > *"5. Where the acquittal in a court case is not on merits but purely on technical grounds, and the Government either proposes to take the matter to a higher court or to proceed against the officer departmentally, the appointing authority may review whether the ad-hoc promotion should be continued.*
> >
> > *6. Where the acquittal by court is on technical grounds, if the Government does not propose to go in appeal to a higher court or to take further departmental action, action should be taken in the same manner as if the officer had been acquitted by the court on merits.*
> >
> > *7. If the officer concerned is not acquitted/exonerated in the court proceedings or the departmental proceedings, the ad-hoc promotion already granted should be brought to an*

end by the issue of the 'further order' contemplated in the order of ad-hoc promotion [Please see para 3(vi) above] and the officer concerned reverted to the post from which he was promoted on ad-hoc basis. After such reversion, the officer may be considered for future promotion in the usual course by the next D.P.C."

14. xxxxxxxxxxx

15. xxxxxxxxxxx

16. On the first question, viz., as to when for the purposes of the sealed cover procedure the disciplinary/criminal proceedings can be said to have com-menced, the Full Bench of the Tribunal has held that it is only when a charge memo in a disciplinary proceedings or a charge-sheet in a criminal prosecution is issued to the employee that it can be said that the departmental proceedings/criminal prosecution is initiated against the employee. The sealed cover procedure is to be resorted to only after the charge-memo/charge-sheet is issued. The pendency of preliminary investigation prior to that stage will not be sufficient to enable the authorities to adopt the sealed cover procedure. We are in agreement with the Tribunal on this point. The contention advanced by the learned counsel for the appellant-authorities that when there are serious allegations and it takes time to collect necessary evidence to prepare and issue charge-memo/charge-sheet, it would not be in the interest of the purity of administration to reward the employee with a promotion, increment etc. does not impress us. The acceptance of this contention would result in injustice to the employees in many cases. As has been the experience so far, the preliminary investigations take an inordinately long time and particularly when they are initi-ated at the instance of the interested persons, they are kept pending deliberately. Many

times they never result in the issue of any charge-memo/charge-sheet. If the allegations are serious and the authorities are keen in investigating them, ordinarily it should not take much time to collect the relevant evidence and finalise the charges. What is further, if the charges are that serious, the authorities have the power to suspend the employee under the relevant rules, and the suspension by itself permits a resort to the sealed cover procedure. The authorities thus are not without a remedy. It was then contended on behalf of the authorities that conclusions nos. 1 and 4 of the Full Bench of the Tribunal are inconsistent with each other. Those conclusions are as follows:

> *"(1) consideration for promotion, selection grade,crossing the efficiency bar or higher scale of paycannot be withheld merely on the ground ofpendency of a disciplinary or criminal proceedingsagainst an official;*
>
> *(2) *********
>
> *(3) *********
>
> *(4) the sealed cover procedure can be resorted only after a charge memo is served on the concerned official or the charge-sheet filed before the criminal court and not before;"*

17. There is no doubt that there is a seeming contradiction between the two conclusions. But read harmoniously, and that is what the Full Bench has intended, the two conclusions can be reconciled with each other. The conclusion no. 1 should be read to mean that the promotion etc. cannot be withheld merely because some disciplinary/criminal proceedings are pending against the employee. To deny the said benefit, they must be at the relevant time pending at the stage when charge-memo/charge-sheet has

already been issued to the employee. Thus read, there is no inconsistency in the two conclusions."

5. In the present case, however, it is informed by learned counsel for the respondent that the respondent has also been acquitted in the criminal case and after the acquittal, the State has opened his sealed cover.

6. In view of above facts, while we notice that the relief has been granted to the respondent, thus judgment passed by the learned Single Judge and the view taken therein, is held to be not sustainable in law and part of the said judgment is set aside with aforesaid observations.

7. Accordingly, the appeal is allowed to the aforesaid extent. "

10. In view of the facts of the present case, so also the provisions given in Circular dated 04.06.2008 and the observation of the Hon'ble Division Bench as referred above, the Court finds no substance in this writ petition. Hence, the same is dismissed being devoid of merit.

11. The stay application and pending application/s, if any, also stand disposed of.

(GANESH RAM MEENA),J

176 S/SHRUTI SHARMA